//1// दाण्डिक प्रकरण कमांक-128/15 Filling number 235103004002015

न्यायालय—साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

दाण्डिक प्रकरण कमांक—128/15 संस्थित दिनांक— 09.07.2015 Filling number 235103004002015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन विरुद्ध 1. वीरभान सिंह पुत्र भीकम सिंह उम्र 35 साल 2. भरत सिंह पुत्र संतोष उम्र 24 साल निवासीगण:— ग्राम शंकरपुर चंदेरी अशोकनगर

<u>: : निर्णय : :</u>

(आज दिनांक- 18.07.2017 को घोषित किया गया)

- 01. अभियुक्त वीरभान के विरुद्ध धारा 279, 337 भा०द०वि० के अन्तर्गत इस आशय का अभियोग है कि दिनांक 06.03.2015 को समय 21:30 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी लिलतपुर रोड स्थित प्राणपुर ६ टिया रोड के पास मोटरसाईकिल क0 एमपी०८ एमसी 7905 को लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत इन्द्रभान सिंह को टक्कर मारकर साधारण उपहित कारित की। अभियुक्त भरत के विरुद्ध धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का अभियोग है कि दिनांक 06.03.2015 को समय 21:30 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी लिलतपुर रोड स्थित प्राणपुर घटिया रोड के पास मोटरसाईकिल क0 एमपी०८ एमसी 7905 को बिना बीमा कराए चलाने दिया।
- **02.** प्रकरण में अवलोकनीय है कि दिनांक 18.07.2017 को फरियादी/आहत व आरोपीगण के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण आरोपी **वीरभान** को धारा 337 भा०द०वि. के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

//2// दाण्डिक प्रकरण कमांक-128/15 Filling number 235103004002015

- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी/आहत ने घायल 03. अवस्था में थाना चंदेरी में उपस्थित होकर इस आशय की जुबानी रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 06.03.2015 की रात करीब 9:30 बजे की बात है वह अपनी मोटरसाईकिल से प्राणपुर से चंदेरी आ रहा था, मोटरसाईकिल पप्पू महाराज प्राणपुर वालो चला रहे थे वह पीछे बैठे थे, जैसे ही प्राणपुर की घटिया के पास आया तभी चंदेरी तरफ से एक मोटरसाईकिल वाले आये उस पर 3 व्यक्ति बैठे थे, उस पर एक त्रिलोक यादव शंकररपूर वालो का लडका बैठा था जिसे वह जानता है, उन 3 लडको में मोटरसाईकिल कौन चला रहा था वह नहीं देख पाया, वे लोग तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, टक्कर लगने से वे लोग गिर गये और उनके बांये हाथ दोनो पैरो के घुटनो तथा शरीर में जगह-जगह चोटे आ गई। पप्पू महाराज मोटरसाईकिल लेकर चला गया और टक्कर मारने वाले भी भाग गये। टक्कर लगने से गिरने से मेरी जेब में रखा मोबाईल भी गिर गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लिये गये, घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, मोटरसाईकिल क0 एमपी08 एमसी 7905 को जप्त किया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।
- 05. राजीनामा उपरांत न्यायालय के समक्ष निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्त वीरभान के द्वारा दिनांक 06.03.2015 को समय 21:30 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी ललितपुर रोड स्थित प्राणपुर घटिया रोड के पास मोटरसाईकिल क0 एमपी08 एमसी 7905 को लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
 - 2. क्या अभियुक्त भरत के द्वारा दिनांक 06.03.2015 को समय 21:30 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी ललितपुर रोड स्थित प्राणपुर घटिया रोड के पास मोटरसाईकिल क0 एमपी08 एमसी 7905 को बिना बीमा कराए चलाने दिया ?

//3// दाण्डिक प्रकरण कमांक-128/15 Filling number 235103004002015

//विचारणीय प्रश्न क. 1 व 2 //

- विचारणीय प्रश्न क. 1 व 2 एक-दूसरे से संबंधित होने से व 06. साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। इन्द्रभान अ०सा०1 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब 2 साल पहले की होकर रात 9 बजे की है। घटना दिनांक को वह पप्पू महाराज की मोटरसाईकिल जिसका नम्बर उसे याद नही है से प्राणपूर से चंदेरी काम से जा रहे थे। उक्त मोटरसाईकिल को वह चला रहा था। उक्त मोटरसाईकिल जैसे ही प्राणपूर की घटिया पर ताना बाना होटल के पास पहुँची तो चंदेरी तरफ से एक मोटरसाईकिल वाला उसकी मोटरसाईकिल को चलाता हुआ लाया और उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी, टक्कर लगने से वह गिर गया था और गिरने से उसे चोट आ गई थी। टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल को शंकरपुर का वीरभान सिंह चला रहा था। घटना के समय मोटरसाईकिल पर उसके साथ और कोई व्यक्ति नहीं था। घटना के संबंध में उसके द्वारा थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्र.पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस घटना स्थल पर आई थी घटना का मानचित्र प्र.पी.2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी चोटो का मेडिकल कराया था और पूछताछ कर मेरे बयान लिये थे।
- 07— अभियोजन अधिकारी ने उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न एवं वे सभी प्रश्न जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछने पर इस बात से इंकार किया कि टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल को वीरभान तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया था। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र. पी.1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढकर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट व कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मेरा आज आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि राजीनामा हो जाने के कारण आज मै न्यायालय में असत्य कथन कर रहा हूँ। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग ''वह आया'' पढकर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट व कथन पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेख कर लिया कारण नहीं बता सकता।

//4// दाण्डिक प्रकरण कमांक-128/15 Filling number 235103004002015

08— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में फरियादी इन्द्रभान अ०सा०१ ने उसके मुख्य परीक्षण में टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल को अभियुक्त वीरभान द्वारा चलाया जाना व्यक्त किया है तथा उक्त साक्षी की साक्ष्य को कोई चुनौती नहीं दी गई है और उक्त साक्षी की साक्ष्य अखण्डनीय रही है जिससे यह प्रमाणित है कि घटना के समय जप्तशुदा मोटरसाईकिल को आरोपी वीरभान चला रहा था किन्तु अभियोजन साक्षी इन्द्रभान की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि मोटरसाईकिल का चालक वीरभार मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया जिससे मानव जीवन संकटापन्न हुआ हो।

09— उल्लेखनिय है कि अभियोजन साक्षी इन्द्रभान अ०सा०१ ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय जप्तशुदा मोटरसाईकिल को आरोपी वीरभान द्व ारा चलाया जाना व्यक्त किया है एवं स्वयं अभियुक्त वीरभान द्वारा उसके अभियुक्त परीक्षण के प्रश्न 5 में भी इस बात को सही बताया है कि टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल को वह चला रहा था। ऐसी स्थिति में घटना, दिनांक समय एवं लोक मार्ग पर प्रश्नगत वाहन एमपी०८ एमसी 7905 बीमित था। उक्त तथ्य विशिष्टि तथ्य होने के आलोक में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उसे साबित करने का भार अभियुक्त पर है और अभियुक्त की ओर से घटना दिनांक को उसके पास बीमा होने के संबंध में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तृत नहीं की गई है और न ही तद्दिनांक को अभियुक्त के पास बीमा होने के संबंध में अभियुक्त की ओर से बीमा प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त भरत के द्वारा दिनांक 06.03.2015 को समय 21:30 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी ललितपुर रोड स्थित प्राणपुर घटिया रोड के पास मोटरसाईकिल क0 एमपी08 एमसी 7905 को बिना बीमा कराए चलाने दिया ।

10— उपरोक्त सम्पूर्ण विशलेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त वीरभान के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 279 प्रमाणित करने में असफल रहा है, अतः अभियुक्त वीरभान धारा 279 भा0द0स0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। किन्तु अभियोजन अभियुक्त भरत सिंह के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त भरत के द्वारा मोटरसाईकिल क0 एमपी08 एमसी 7905 को बिना बीमा कराए चलाने दिया। अतः आरोपी भरत को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 के अन्तर्गत 500/— रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 15 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

//5// दाण्डिक प्रकरण कमांक-128/15 Filling number 235103004002015

- 11. प्रकरण में जप्तसुदा मोटरसाईकिल क0 एमपी08 एमसी 7905 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में अपील अवधि पश्चात भारमुक्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।
- 12— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 13- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया दिनांकित कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 //6// दाण्डिक प्रकरण कमांक-128/15 Filling number 235103004002015